



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941
No. 217] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2019

सं. 12-11/2010-के.हो.प (पार्ट-II)(1).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वाँ) की धारा 20 के उप विनियम(1) के साथ पठित धारा 33 के खण्ड (झ) (ज) (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.) विनियम, 1989 में आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात:-

- (i) इन विनियमों को होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा ।
(ii) ये सरकारी राजपत्र प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
(iii) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो कि एम.डी.(होम.) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रवेशित होंगे ।
- होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.),1989 के विनियम 4 के उप-विनियम (2) में:-
(i) खण्ड (iv) में निम्न परन्तुक को जोड़ा जाएगा अर्थात:-
निजी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय सीट मैट्रिक्स कोटा सौ प्रतिशत होगा तथा जिन विश्वविद्यालयों व संस्थानों में पहले से ही अखिल भारतीय कोटा पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा है, वहाँ अखिल भारतीय सीट कोटा यथावत बना रहेगा ।
(ii) खण्ड (v) हेतु निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:- “(v) पचासी प्रतिशत राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के कोटे के लिए राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघशासित प्रदेशों के सभी होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परामर्श हेतु नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य एवं संघशासित प्रदेश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार, जैसा भी मामला, राज्य शासन अथवा संघ शासित प्रदेश होंगे।”
(iii) खण्ड (vi) हेतु निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:- “(vi) केन्द्रीय सरकार तथा किसी मानित विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित सभी होमियोपैथी संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सीटों में प्रवेश हेतु परामर्श केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

डॉ. कुमार विवेकानन्द, रजिस्ट्रार-सह-सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./99/19]

टिप्पणी:— मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग—III खण्ड—4, में सं. 12-18/89—केहोप दिनांक 16 नवंबर, 1989 तथा अंतिम अधिसूचना संख्या 12-11/2010—केहोप(पार्ट—II) (1) दिनांक 14 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(यदि होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी.(होम.) संशोधन विनियम, 2019 के हिन्दी/अंग्रेजी संस्करण में कोई कमी पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।)

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2019

No. 12-11/2010-CCH(Pt.II)(1) .—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 33 read with and sub-section (1) of 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Regulations, 1989, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
(3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for M.D.(Hom.) course from the commencement of the academic session (2019-2020).
2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Regulations, 1989, in regulation 4, in sub-regulation (2), —

(i) in clause (iv), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that the seat matrix for admission in any Deemed Universities shall be hundred percent for the all India quota and those Universities and Institutes which are already having more than fifteen percent all India quota seats, shall continue to maintain that quota.

(ii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:- “(v) The designated authority for counseling of eighty-five percent State and Union territory quota for admissions to post-graduate course in all Homoeopathic educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.”

(iii) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:- “(vi) The counseling for all admission to postgraduate course for seats under the all India quota as well as for all Homoeopathy educational institutions established by the Central Government and any Deemed Universities shall be conducted by authority designated by the Central Government.”

Dr. KUMAR VIVEKANAND, Registrar-Cum-Secy.
[ADVT. -III/4/Exty./99/19]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, *vide* number 12-18/89-CCH dated the 16th November, 1989 and were last amended *vide* notification number. 12-11/2010-CCH (Pt.II)(1) dated the 14th December, 2018.

(If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2019”, the English version will be treated as final)